रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 109] नई दिल्ली, बुधवार, मई 1, 1974/वैशाख 11, 1896

No. 109] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 1, 1974/VAISAKHA 11, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library 1974

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 1st May 1974

G.S.R. 209(E)/ESS.COM./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar (Price Determination for 1973-74 Production) Order, 1973, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Price Determination for 1973-74 Production) Third Amendment Order, 1974.

(2) It shall come into force at once.

2. In Schedule II to the Sugar (Price Determination for 1973-74 Production) Order, 1973, under the heading Central Uttar Pradesh, after serial number 21 and the entries relating thereto, following serial number and entries shall be inserted, namely:—

"22. The Kichha Sugar Co. Ltd., Kichha, District Nainital".

[No. 2-5/73-SPY]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 मई 1974

सा० का० नि० 209 (अ)/आ० व०/**शर्करा.**—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शर्करा (1973–74 में उत्पादित शर्करा कीमत अवधारण) आदेश, 1973 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

1. (1) इस आदेश का नाम शर्करा (1973–74) में उत्पादित शर्करा-कीमत अवधारण) तृतीय संशोधन आदेश, 1974 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. शर्करा (1973–74 में उत्पादित शर्करा—कीमत अवधारण) आदेश, 1973 की अनुसूची II में, केन्द्रीय उत्तर प्रदेश शीर्षक के नीचे, क्रम सं० 21 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

"22 दी किच्छा शुगर कम्पनी, लिमिटेड, किच्छा, जिला नैनीताल । "

[2–5/73–एस० पी०वाई०]

एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974